संख्या-87/2020/4495/71-2-20-के0जी0एम0यू0-02/2020

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (300 बेड) चिकित्सालय की स्थापना के अंतर्गत आवश्यक कार्य की प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 9679/योजना अनु0/2020, दिनांक 10-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (300 बेड) हास्पिटल की स्थापना हेतु अतिरिक्त कार्यों की प्रायोजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 184.047 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-47/2020/2092/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 18 जुलाई, 2020 द्वारा के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (200 बेड) निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 392.36 लाख (रू0 तीन करोड बानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष धनराशि रू0 196.18 लाख तथा शासनादेश संख्या-53/2020/3331/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा उक्त प्रायोजना के विस्तार के अंतर्गत कोविड वार्ड (300 बेड) निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्य की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 613.49 लाख (रू0 छः करोड तेरह लाख उन्चास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि रू0 429.443 लाख अवमुक्त की गयी है-

क्रमांक	शासनादेश संख्या	धनराशि (रू0 लाख में)
01	47/2020/2092/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 18.07.2020	196.18
02	53/2020/3331/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 27.08.2020	110.565
03	64/2020/4050/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 29.10.2020	122.698
	योग	429.443

3- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर में नवस्थापित कोविड वार्ड (300 बेड) हास्पिटल निर्माण के संबंध में अतिरिक्त कार्यों की प्रायोजना हेतु उक्तानुसार मूल्यांकित/अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

613.49 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 101.355 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 21.343 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 122.698 लाख (रू0 एक करोड बाईस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
2) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लेकेसी) रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।
4) पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, शासनादेश दिनांक 07-04-2020, दिनांक 11-04-2020 एवं दिनांक 29-09-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) विश्वविद्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
7) प्रश्नगत प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग वर्ष 2018 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों एवं डी0एस0आर0 2018 की दरों पर गठित किया गया है, जो दरें इन दरों में उपलब्ध नहीं है उन दरों को बाजार/कोटेशन दरों पर प्रावधान किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।
8) प्रायोजनान्तर्गत रेनोवेशन एवं री-मांडलिंग का कार्य प्रस्तावित है। अतः निर्माण उपरान्त प्राप्त होने वाली पुरानी सामग्री का ह्रासित मूल्य निर्धारित कर राजकोष में धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।
9) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का प्रयोग इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रायोजना के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
12) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।
13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।

15) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 101.355 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 21.343 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-87/2020/4495(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in